राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष नं0:–0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:– एफ.04(ई)(1)(6)/डीजीएस/अलेसे–III/543 दिनांक:– 02/05/25

संयुक्त शासन सचिव,
कार्मिक (क–2) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय:– शहीद सैनिको/स्थाई विकलांग सैनिको के अश्रितों को राजस्थान विभिन्न सेवा नियम (8वां संशोधन) 2022 के अर्न्तगत L–10 तक के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना संख्या– एफ.5(1)डी.ओ.पी./ए–II/18 पार्ट जयपुर दिनांक 07.12.2022 एवं अधिसूचना संख्या एफ.5 (1)डी.ओ.पी./ए–II/18 पार्ट जयपुर दिनांक 09.09.2022 के क्रम में शहीद/अशक्त कार्मिको के अश्रितों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन मैट्रिस के लेवल L–10 के पद पर अधीनस्थ लेखा सेवा के कनिष्ठ लेखाकार के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रकरण इस निदेशालय को भिजवाये जा रहे है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.01.2025 को रोजगार दिवस के उपलक्ष्य में एवं दिनांक 22.01.2025 को कुल 4892 कनिष्ठ लेखाकारों को नियुक्ति दी जा चुकी है तथा शेष 298 कनिष्ठ लेखाकारों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः कनिष्ठ लेखाकर के पद पर उक्त अधिसूचनाओं के तहत अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु रिक्त पद अब उपलब्ध नही है।

उक्त सूचना के क्रम में शहीद आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण इस निदेशालय को प्रेषित नहीं किये जाने का श्रम करावें।

भवदीय,

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव